भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4988
दिनांक 01 अप्रैल, 2025/ 11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कदम

†4988. प्रो. सौगत रायः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के नागरिकों के बीच मादक पदार्थों और रासायनिक दवाओं के गंभीर मुद्दे से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों और रासायनिक दवाओं के प्रभाव के कारण महिलाओं और बच्चों की हत्याओं, उन पर असामाजिक अत्याचारों की बढ़ती संख्या का संज्ञान लिया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देशभर में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने भारत को "नशा मुक्त भारत" बनाने के लिए कोई परियोजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज मामले, की गई गिरफ्तारियाँ तथा जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा अनुलग्नक-I में दी गई है। देश में विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों और रासायनिक दवाओं के प्रभाव के कारण महिलाओं और बच्चों की हत्याओं, उन पर असामाजिक अत्याचारों की घटनाओं की संख्या का विशिष्ट ब्योरा नहीं रखा जाता है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 4988, दिनांक 01.04.2025

(घ) और (ङ): भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए सरकार मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु अपने अभियान के तहत विभिन्न उपाय कर रही है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) समय-समय पर यथासंशोधित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 में धारा 2 (viiiख) के तहत परिभाषित स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए कड़े प्रावधान हैं। इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय IV में अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए अपराधों और उनके लिए दंड हेतु विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए अथवा प्रकृति और प्रभावों तथा दुरुपयोग अथवा दुरुपयोग की संभावना के संबंध में उपलब्ध जानकारी और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, राजस्व विभाग ने धारा 2(xi)(ख) के तहत 134 स्वापक औषधियों, धारा 3 के तहत 173 मन: प्रभावी पदार्थों और धारा 9क के तहत 45 नियंत्रित पदार्थों को सूचीबद्ध किया है, ताकि एनडीपीएस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग के लिए स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए जनहित में यथोचित विनियमन, नियंत्रण अथवा निषेध किया जा सके।

(iii) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इनके दुरुपयोग को रोकने के कार्यक्षेत्र में केंद्रीय एवं राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) तंत्र स्थापित किया गया है। मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन से संबंधित सूचना के लिए एक ऑल-इन-वन 'एनकॉर्ड' पोर्टल तैयार किया गया है।

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 'एनकॉर्ड' सचिवालय के रूप में कार्य करने और विभिन्न स्तरों पर 'एनकॉर्ड' की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने में आगे कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) गठित की गई है।

(v) महत्वपूर्ण और बड़ी जब्तियों की जांच की निगरानी करने के लिए, भारत सरकार द्वारा महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) गठित की गई है।

(vi) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सीमा रक्षक बलों (सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल) को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रेल मार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी शक्ति प्रदान की गई है।

(vii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, राज्य एएनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा सके।

(viii) सभी बंदरगाहों पर मादक पदार्थों की पहचान के लिए कन्साइनमेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैनिंग सुनिश्चित की जा रही है।

(ix) देश की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) निरंतर अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(x) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को मजबूत करने और इसकी अखिल भारतीय उपस्थिति को बढ़ाने के लिए एनसीबी में विभिन्न स्तरों पर 536 पद सृजित किए गए हैं। इस पुनर्गठन के दौरान और अधिक प्रभावी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के लिए साइबर, विधिक और प्रवर्तन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(xi) मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) तंत्र के तहत डार्कनेट और क्रिप्टो-करेंसी पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नार्को-तस्करी में मदद करने वाले सभी प्लेटफार्मों की निगरानी, एजेंसियों/एमएसी सदस्यों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी इनपुट साझा करने, मादक पदार्थों के नेटवर्क को रोकने, रुझानों, कार्यप्रणाली और नोड्स को निरंतर कैप्चर करने और डाटाबेस का नियमित रूप से अद्यतन बनाने तथा संबंधित नियमों और कानूनों की समीक्षा करने पर केंद्रित है।

(xii) जांच और सक्रिय पुलिस व्यवस्था के लिए सभी डीएलईए/अन्य जांच एजेंसियों की सहायता के लिए, गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल विकसित किया गया है। यह स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत मादक पदार्थों के अपराधों में शामिल नार्को-अपराधियों का डेटा प्रदान करता है।

(xiii) राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन सं. 1933 "मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस) को 24x7 टोल-फ्री राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। तदनुसार मानस की परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को लॉग, रजिस्टर, ट्रैक और हल करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।

(xiv) समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, चुनौतियों और समाधानों का विश्लेषण करने के लिए नवम्बर, 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में एक उच्च स्तरीय समर्पित समूह (समुद्री सुरक्षा समूह- एनएससीएस) का गठन किया गया है।

(xv) मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी विभिन्न मामलों, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है तथा समुद्री मार्ग से तस्करी संबंधी मामलों का समाधान करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी देशों और अन्य देशों के साथ महानिदेशक स्तरीय वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है।

(xvi) 10000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों के माध्यम से देश के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया। इसने 4.96 करोड़ युवाओं और 2.97 करोड़ महिलाओं सहित 14.79 करोड़ से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाई है।

(xvii) सरकार 350 'नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए)' 46 'समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों', 74 'आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्रों (ओडीआईसी)' 142 'व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ)' और 124 'जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी)' को सहायता प्रदान करती है।

(xviii) नशामुक्ति के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 चलाई जा रही है।

(xix) सरकार अपने स्वायत्त निकाय 'राष्ट्रीय समाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी)' और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे कि 'राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)', 'केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)' आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के लिए नियमित रूप से जागरूकता सृजन और जानकारी सत्रों की व्यवस्था करती है।

(xx) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा छात्रों (6ठी-11वीं कक्षा), शिक्षकों और अभिभावकों को मादक पदार्थों पर निर्भरता से निपटने से संबंधित रणनीतियों एवं जीवन कौशल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

******

लोक सभा अता. प्र. सं. 4988, दिनांक 01.04.2025

अनुलग्नक-I

विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी मादक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज मामले, की गई गिरफ्तारियां और जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा

वर्ष	मामले	गिरफ्तारियां	मात्रा (किग्रा. में)
2020	55,622	73,841	10,82,511
2021	68,144	93,538	16,09,612
2022	1,02,769	1,26,516	12,53,662
2023	1,09,546	1,32,954	13,89,725
2024	89,913	1,16,098	13,30,600

स्रोत: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

******